प्रपत्र VI क
झारखण्ड सरकार
समाहरणालय पूर्वी–सिंहभूम, जमशेदपुर
(भू–अर्जन भााखा)
या
समाहर्ता या समुचित सरकार
प्रारंभिक अधिसूचना
(अधिनियम–30 / 2013 की धारा–11 (1) के अधीन)

संख्या– 407 **जमशेदपुर दिनांक– 27.05.2016**

चूंकि समाहर्ता को यह प्रतीत होता है कि ग्राम–छोटा धाइदका, थाना–घाटशिला, थाना नं0–41, अंचल घाटशिला, जिला–पुर्वी–सिंहभूम, में भूमि सार्वजनिक प्रयोजन, यथा परियोजना चांण्डिल वांयी मुख्य नहर के कि0मी0–85.47 से निःसृत ओ0एल0–38 पम्प नहर निर्माण हेत् अपेक्षित है, प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन एंव पुनर्व्यवस्थापन के प्रयोजनार्थ अपर समाहर्ता अथवा नियम 2 (1) (ख) के तहत् नियुक्त पदाधिकारी को प्रशासक के रूप में नियुक्त किए गए है। अतएव अधिसूचित किया जाता है कि ग्राम–छोटा धाइदका, थाना–घाटशिला, थाना नं0–41, अंचल–घाटशिला, जिला–पूर्वी–सिंहभूम में उपर्युक्त कथित परियोजना के लिए कमोवेश –0.555 एकड़ यानि 0.225 हेक्टेयर मानक माप का भूखंड, जिसका विस्तृत विवरण निम्नलिखित है, अर्जनाधीन हैं ....

क0	खाता सं0	सर्वे प्लॉट सं0	स्वामित व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन के अधीन क्षेत्रफल (एकड़ में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम व पता	सीमा (भूखंड सं0)			
							उ0	द0	पू0	प0
1	2	3	4	5	6	7	8			
1	57	48	कायमी	दोन–दो	0.05	दुली संथालिन पति–कान्दन संथाल नि0–	48अंश	48अंश	49अंश	बल्लाम नं0 45
2	3	49	कायमी	दोन–दो	0.05	झानी संथालिन पति–किसु संथाल नि0–	49अंश	49अंश	51अंश	48अंश
3	80	51	कायामी	दोन–दो	0.03	महेन्द्र मासांग पिता भगत संथाल किसु, सुना, दुला, पिता रामु संथाल नि0–	51,50अंश	51अंश	51अंश	49अंश
4	78	50	कायमी	दोन–दो	0.02	महेन्द्र संथाल मासांग संथाल पिता मंगल संथाल एक अ" I सुना संथाल किसु संथाल दुला संथाल पिता रामु संथाल नि0–	46,43अंश	50,51अंश	50अंश	50अंश
5	57	46	कायमी	दोन–दो	0.005	दुली संथालिन पति कान्दन संथाल नि0–	46अंश	50अंश	43अंश	46अंश
6	94	44	कायमी	दोन–दो	0.07	बड़ारामु संथाल करण संथाल गलाई संथाल पिता राम दास संथाल नि0नि0 ग्राम।	44अंश	44अंश	44अंश	43अंश
7	94	43	कायमी	मोटी आड़	0.02	वही	44अंश	50अंश	43अंश	46अंश
8	88	3	कायमी	दोन–दो	0.14	वही	5अंश	44,3अंश	3अंश	3अंश
9	86	5	कायमी	दोन–दो	0.07	राम संथाल चादरा संथाल पिता गलाई संथाल नि0–	9अंश	3अंश	5अंश	5अंश
10	102	9	कायमी	दोन–दो	0.10	सुन्दर संथाल पिता सालखु संथाल एक अंश तथा कपुरा पति सालखा संथाल एक अंश नि0नि0 ग्राम।	ग्राम आसना नं0–49	5अंश	9अंश	9अंश

यह अधिसूचना भू–अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एंव पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (अधिनियम संख्या–30/2013) की धारा–11 (1) के उपबंधों के अधीन सभी संबंधित व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है।

भूमि की योजना का निरीक्षण विशेष भू–अर्जन पदाधिकारी सं0–1, के कार्यालय में किसी कार्य दिवस को कार्यावधि में किया जा सकेगा। झारखण्ड सरकार/समाहर्ता–सह–समुचित सरकार उक्त अधिनियम की धाारा–12 में यथाउपबंधित एंव यथाविनिर्दिश्ट कार्यों के समुचित निष्पादन हेतु अपेक्षित किसी भ्मि का सर्वेक्षण एंव उसकी प्रविष्टि करने, किसी भूमि के किसी स्तर को मापने के लिए अवभूमि खोदने या भू–वेधन–छिद्र करने सहित सभी अन्य कार्यों के संचालन करने हेतु विशेष भू–अर्जन पदाधिकारी सं0–1, और उनके कर्मचारी को प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई व्यक्ति जिला समाहर्ता क पूर्विक अनुमोदन के बिना इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई अंतरण यथा कय/विकय नहीं करेगा या ऐसा कोई अंतरण नहीं करवाएगा या ऐसी भूमि पर कोई अवभार नहीं उत्पन्न करेगा।

अधिनियम की धारा–15 के अधीन यथाउपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से साठ (60 दिनों) के अंतर्गत भू–अर्जन की बाबत किसी प्रकार को आपत्तियां हितबद्व व्यक्ति द्वारा विशेष भू–अर्जन पदाधिकारी सं0–1, के समक्ष दर्ज की जा सकेगी।

ह/0 ह/0

वि0भू0अ0पदा0मानगो–1,
जमशेदपुर।

अपर उपायुक्त
पूर्वी–सिंहभूम, जमशेदपुर।

ज्ञापांक– 407 जमशेदपुर, दिनांक– 27.05.2016

प्रतिलिपि :– जिला सूचना एंव विज्ञान पदाधिकारी, पूर्वी–सिंहभूम, जमशेदपुर को जिले के बेवसाइट में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– सूचना एंव जनसंपर्क पदाधिकारी, पूर्वी–सिंहभूम, जमशेदपुर से प्रकाशित होने वाले दो दैनिक समाचार पत्र हिन्दुस्तान/प्रभात खबर/उदितवाणी में प्रकाशनार्थ/उपसमाहर्ता प्रभारी, जिला गजट, पूर्वी–सिंहभूम जमशेदपुर के अगले अंक के जिला गजट में प्रकाशनार्थ प्रेषित ।

ह/0

विशेष भू–अर्जन पदाधिकारी सं0–1,
सुवर्णरेखा परियोजना मानगो, जमशेदपुर।